संख्या–2579 / 9–आ–2–2001–3 एच.बी.(122) / 2000

प्रेषक,

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष / जिलाधिकारी,**
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक– 24 अगस्त, 2001

विषय : आश्रय योजना एवं दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित भवनों के निबन्धन हेतु निष्पादित किये जाने वाले विक्रय या पट्टे के लिखतों पर स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या क0नि0–5–3056 / 11–2001–312 (381) / 99 दिनांक 4 अगस्त, 2001 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आश्रय योजना एवं दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियों के निबन्धन के समय स्टैम्प शुल्क में छूट दिये जाने के शासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि जन सामान्य को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस आशय का व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाय।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(टी0 पी0 पाठक)
विशेष सचिव

संख्या–2579(1) / 9–आ–2–2001 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 को उनके पत्र संख्या–क0नि0–5–3056 / 11–2001–312(381) / 99 दिनांक 4.8.2001 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. आवास बन्धु।

आज्ञा से

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या–क0नि0–5–3056 /11–2001–312 (381)/99
लखनऊ : दिनांक : 4 अगस्त, 2001

अधिसूचना आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899)की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 18 अप्रैल, 2001 से राज्य सरकार के आवास विभाग द्वारा कार्यान्वित,–

(क) आश्रय योजना या सबके लिये आवास योजना के अधीन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1966) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विक्रय या पट्टे के लिखतों पर 100 रुपये (एक सौ रूपये) से अधिक के, और

(ख) दुर्बल वर्ग आवासीय योजना के अधीन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा पुनः अधिनियम राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या। सन् 1966) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विक्रय या पट्टे के लिखतों पर 500 रुपये (पांच सौ रूपये) से अधिक के, स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से

टी. जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या–क0नि0–5– 3056 / ।।–2001–312 (381)/99, तद दिनांक।

प्रतिलिपि :अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 4 अगस्त, 2001 के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

यू0 के0 एस0 चौहान
विशेष सचिव

संख्या–क0नि0–5– 3056 / ।।–2001–312 (381)/99, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त स्टाम्प/अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप/सहायक स्टाम्प आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. विधायी अनुभाग–1
9. जनपद स्तरीय कार्यालय में तैनात समस्त उप निबन्धक, उ0प्र0।
10. सूचना निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।

आज्ञा से

यू0 के0 एस0 चौहान
विशेष सचिव